याचिका क्र. 30/07

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

श्री आर.के. जैन आत्मज श्री गोकुल चन्द्र जैन,
प्रोपाईटर एवं मालिक मेसर्स क्वालिटी केमीकल्स एण्ड मिनरल्स इण्ड.
आलमपुरा, तह. व जिला टीकमगढ़ — आवेदक
जिला नीमच द्वारा प्रभारी अधिकारी

विरूद्ध

1. श्री ए.आर. वर्मा, तनय नामालूम, हाल पदस्थ
   कार्यपालन यंत्री, संचा./संधा. म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.
   संभाग, टीकमगढ़ म.प्र.

2. श्री डी.सी. श्रीवास्तव तनय नामालूम हाल,
   पदस्थ कनिष्ठ यंत्री, विद्युत वितरण केन्द्र मवई, म.प्र.
   पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड संभाग, टीकमगढ़ — अनावेदकगण

: आदेश :

(26 सितम्बर, 2007)

विषय : आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 44 एवं 45 विद्युत विनियमन आयोग अधिनियम 1948 सहपठित धारा 146 एवं 142 भारतीय विद्युत अधिनियम 2003

याचिकाकर्ता एवं अनावेदक दोनों अनुपस्थित ।

उक्त कनेक्शन में गलत टैरिफ लगने के कारण पुनरीक्षित बिलिंग में अन्तर की राशि (रू. 19539.00) को संशोधित कर रू. 22730.00 किया गया था तद्नुसार उपभोक्ता को रू. 3119.00 की क्रेडिट देना शेष था उक्त संबंध में कनिष्ठ यंत्री मवई के आदेशानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया था ।

1. आज दिनांक 26.9.07 को आयोग के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित होना था, परन्तु आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जबकि पूर्व बैठक में आयोग द्वारा निर्देशित किया था कि आवेदक याचिका से संबंधित सभी बातों का पूर्ण ब्यौरा जिसका फोरम के आदेशानुसार पालन विपक्षी द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, आयोग को शीघ्र ही उपलब्ध करें । बिल संबंधी कथित अन्य नई समस्याओं के निराकरण हेतु आवेदक फोरम में अपना प्रकरण प्रस्तुत कर सकते हैं । यदि फोरम के आदेश से आवेदक संतुष्ठ नहीं होता है तो वह लोकपाल के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा । यह याचिका केवल फोरम के आदेश दिनांक 11.12.06 में पारित आदेश के बिन्दुओं के पालन को सुनिश्चित करने से संबंधित है । याचिकाकर्ता को किसी अन्य अनियमितताओं के संबंध में शिकायत है तो अपनी लिखित उक्त शिकायत सी.एम.डी. पूर्व क्षेत्र वितरण कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज सकते हैं । परन्तु आवेदक द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित अतिरिक्त जानकारी आयोग के समक्ष उपलब्ध नहीं कराई है ।

2. पूर्व सुनवाई दिनांक 22.8.2007 के समय अनावेदक को भी निर्देशित किया था कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका का उत्तर मय शपथ–पत्र के साथ आगामी सुनवाई दिनांक के एक सप्ताह पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें । साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि टैरिफ आदेश दिनांक 31 मार्च, 2006 के अनुसार विद्युत देयकों में छूट प्रदान की जाने के पश्चात भी बिना छूट दिये बिलिंग क्यों की जा रही है । इस संबंध में संबंधित कार्यपालन यंत्री पर क्या कार्यवाही की गई, यह भी स्पष्ट करें । मण्डल द्वारा इस संबंध में अपना प्रति–उत्तर आज आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेखित है कि मण्डल द्वारा फोरम के आदेश का पालन किया जा चुका है । त्रुटिपूर्ण बिल देने एवं उपभोक्ता शिकायत फोरम के निर्णय का पालन विलंब से करने के विरूद्व संबंधित कनिष्ठ यंत्री के विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है ।

3. अनावेदक के अनुसार इस कनेक्शन में गलत टैरिफ लगाने के कारण निकाली गई अंतर राशि रू. 81,584/– जिसमें से उपभोक्ता द्वारा रू. 27195/– का भुगतान 28.4.07 को कर दिया गया था, शेष राशि 54,389/– वसूली हेतु शेष थी फोरम के आदेश की शेष क्रेडिट योग्य राशि रू. 3,191/– को क्रेडिट करने के उपरान्त शेष राशि रू. 54389–3191=51198 की वसूली उपभोक्ता से माह जुलाई, 07 में की जा चुकी है ।

4. चूंकि उपभोक्ता औद्योगिक श्रेणी का है, अतः एल.व्ही. 4 टैरिफ से बिलिंग की जा रही है, जो सही है । उपभोक्ता की बिलिंग में त्रुटिवश एल.व्ही. 5.2 से की गई थी जिसे सुधार कर माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ एल.व्ही. 4 के अनुसार की गई है जो कि नियमानुसार है । आवेदक के विद्युत के उपयोग अनुसार टैरिफ आदेश दिनांक 31 मार्च, 2006 के आधार पर एल.व्ही. 4 के अनुसार बिलिंग की जा रही थी, जिसमें कोई भी छूट का प्रावधान नहीं है । अतः इस संबंध में संबंधित कार्यपालन यंत्री पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

5. आवेदक द्वारा कोई अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की है । अतः आयोग द्वारा आवेदक को पूर्व सुनवाई के समय दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जा सकता है ।

(आर. नटराजन)	(डी. रायबर्धन)	(डॉ. जे.एल.बोस)
सदस्य (इकॉनामिक)	सदस्य (अभि.)	अध्यक्ष.